तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी / टी.ए. / 530 / 2004 / सवाईमाधोपुर श्री गणपत लाल बनाम कीर्ति राम शर्मा	

एकल–पीठ

श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री सी0पी0शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।

(2) श्री समीर अहमद अभिभाषक

निर्णय दिनांकः14.8.18

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी,सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–1–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के सक्षिप्त तथ्यों अनुसार वादी / प्रार्थी गणपतलाल की ओर से उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88–89 व188 आरटीएक्ट आराजी खसरा नं.1386 / 2.05 हैक्टेयर पर खातेदारी हेतु वाद पेश किया जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 15–3–02 से डिक्री किया जिसके विरुद्ध अपील संख्या 62 / 02 प्रतिवादी / अपीलांट कीर्तिराम आदि की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की जो दिनांक 18–8–03 को स्वीकार की गयी जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने एक नजरसानी प्रार्थनापत्र इक तरफा निर्णय दिनांक 18–8–03 को निरस्त कराने हेतु पेश किया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपनेनिर्णय दिनांक 5–1–2004 के द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापुत्र को खारिज करते हुए पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 18–7–2003 को यथावत रखा गया। जिसके विरुद्ध हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने पंजीकृत बयनामा से भूखण्ड संख्या 125 / 4 रकबा 8बीघा कय किया जो कि विक्रेता गोविन्द को आवंटित हुआ था। वादी के नाम 12–6–69 से पूर्व नामा0 तस्दीक नही हो सका और सैटलमेंट विभाग ने त्रुटि से विवादित अराजी का कोई नया नंबर नही बनाया व खसरा नंबर 125 का कोई मिलान क्षेत्रफल भी नही बनाया लेकिन आवंटन के समय से प्रार्थी वादी के विक्रेता को 8

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 530 / 2004 / सवाईमाधोपुर</u>** श्री गणपत लाल बनाम कीर्ति राम शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीघा रकबा मौके जिस स्थान पर कब्जा दिया था वही है। हाल खसरा नंबर 1386 बना है जो अब भी प्रार्थी वादी के कब्जे में है लेकिन सैटलमेंट विभाग द्वारा उक्त खसरा नंबर को अप्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया एवं खसरा नंबर 1408 व 1409 का इन्द्राज विक्रेता गोविन्द के नाम करवा लिया उक्त कथनों को वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बयान से साबित किया जिससे वादी का वाद डिक्री किया । लेकिन उक्त दावा डिक्री के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश होने पर उनके द्वारा अप्रार्थी की ओर से एक पक्षीय अपील की सुनवाई कर अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करली तथा नजरसानी प्रार्थनापत्र भी बिना किसी अधार के खारिज कर दिया जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के खिलाफ है। उनका यह भी तर्क है कि विधि का सर्वमान्य प्रावधान है कि प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरुप पक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान किया जाकर ही प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसका इस प्रकरण में अभाव है। अन्त में निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 18–8–2003 एवं 5–1–2004 को निरस्त करने का निवेदन किया। 5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से बताया कि दिनांक 18–8–83 के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी की ओर से जो नजरसानी प्रार्थनापत्र पेश किया है तथा उक्त नजरसानी प्रार्थनापत्र पेश करने में हुई देरी के जो कारण नजरसानी के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम में दिये है वे सन्तोषजनक कारण नही होने से ही विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र को खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। अन्त में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया।पत्रावली का अवलोकन किया गया।पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है वादी/प्रार्थी गणपतलाल की ओर से उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के न्यायालय में एक आराजी खसरा नंबर 1386/2.05 हैक्टेयर पर खातेदारी हेतु वाद पेश होने पर दिनांक 15–3–2002 को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा दावा डिक्री किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 530 / 2004 / सवाईमाधोपुर</u>** श्री गणपत लाल बनाम कीर्ति राम शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया जिसके विरुद्ध अपील संख्या 62 / 02 प्रतिवादी / अपीलांट कीर्तिराम आदि की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की जो दिनांक 18–8–03 को इकतरफा में स्वीकार की गयी। जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने एक नजरसानी प्रार्थनापत्र इक तरफा निर्णय दिनांक 18–8–03 को निरस्त कराने हेतु पेश किया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 5–1–2004 के द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 18–8–2003 को यथावत रखा गया।प्रार्थी / निगराकार की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र भी पेश किया जिसके समर्थन में प्रार्थी की ओर से बीमारी का प्रमाण पत्र पेश किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने नजरसानी को यह मान मर खारिज कर दिया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाण पत्र दिनांक 25–8–2003 राजकीय चिकित्सक का नही होकर निजी चिकित्क का है जिसकी वैद्यता को साक्ष्य से प्रमाणित होने के बाद ही सही माना जा सकता है।चूँकि प्रार्थी की ओर से उक्त प्रमाणपत्र को वैध कराने हेतु समय नही दिया और साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उनको जाना चाहिए था उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश देते व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते, लेकिन ऐसा नही कर इसी आधार पर नजरसानी को खारिज कर दिया जो कानून सम्मत नही है। 7– हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि चिकित्क प्रमाणपत्र की वैद्यता के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य से पुष्टि की आवश्यकता थी या नही? इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम तो यह स्पष्ट है कि इस प्रमाण पत्र के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है जिससे इसकी वैद्यता पर प्रश्न चिन्ह लग सके। दूसरी ओर यह स्प्ष्ट है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा इस चिकित्सक प्रमाणत्र की वैद्यता के बारे में प्रार्थी / निगराकार को समय भी नही दिया गया है।चूकि निगराकार / प्रार्थी को अधीनस्थ अपीलय न्यायालय में सुनवाई मा समुचित अवसर भी नही मिला है।चूँकि दो बार अपील पत्रावचली सवाईमाधोपुर से कैम्प गंगापुर व कैम्प गंगापुर से सवाईमाधोपुर चली है, जिससे प्रार्थी / निगराकार पर प्रोपर तामील भी नही हुई है और अपील का निर्णय उसकी अनुपस्थिति में किया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 530 / 2004 / सवाईमाधोपुर</u>** श्री गणपत लाल बनाम कीर्ति राम शर्मा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जानकारी होने पर उसकी ओर से नजरसानी प्रंस्तुत की है,जिसे बिना किसी आधार के उपरोक्तानुसार खारिज किया है। चूँकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का विधिवत रुप से समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी को चाहिए था कि प्रार्थी / निगराकार की ओर से जो रिब्यू प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है उसे पर सहानुभूति पूर्वक सुनवाई करते इसके बाद ही यथोचित निर्णय पारित करते, लेकिन विद्वान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा ऐसा नही कर प्रार्थी की ओर प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। परिणामस्वरुप यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 8— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5—1—2004 एवं 18—8—2003 निरस्त कियें जाते हैं। प्रकरण उन्हे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थी / निगराकार को अपील संख्या 62 / 02 शीर्षक कीर्तिराम आदि बनाम गणपतलाल आदि में सुनवाई का विधिवत अवसर देकर अपील का निस्तारण पुनः गुणावगुण पर करे। पक्षकारान दिनांक 30—8—2018 को सुनवाई हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपु के समक्ष उपस्थित हो। इससे पूर्व तहत रिकार्ड भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरज भान जैमन)** **सदस्य**	